

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

सं०.प्रस्था/मंत्रा/क.सहा./वरि.सू./ 7945-63

जयपुर, दिनांक : 08/05/19

प्रोविजनल वरिष्ठता सूची

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कनिष्ठ सहायक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की दिनांक : 01.04.2019 की स्थिति दर्शाते हुए प्रोविजनल वरिष्ठता सूची निम्न प्रकार से जारी की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति/ पदोन्नति तिथि	स्थाईकरण की तिथि	वर्ग
1.	श्री नरपत सिंह	पाली	31.01.66	12.10.95	26.5.03	GEN
2.	श्री अर्जुन सिंह	बूंदी	10.06.82	22.07.00	—"—	UR
3.	श्री कृष्ण सिंह खींची	सू.के.जयपुर	23.08.80	30.11.00	—"—	OBC
4.	श्री सैयद आरिफ अली	चित्तौड़गढ़	29.09.79	12.11.07	20.9.12	GEN
5.	श्री अनिल वर्मा	मुख्यालय	18.08.79	21.05.09	—"—	OBC
6.	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	मुख्यालय	15.06.60	29.09.10	—"—	OBC
7.	श्री रामचन्द्र मेघवाल	चूरु	03.07.66	02.01.12	—"—	SC
8.	श्री मुकेश शर्मा (मेरिट नं. 113)	मुख्यालय	02.04.83	30.01.13	30.01.15	GEN
9.	श्री देवेन्द्र सिंह (मेरिट नं. 161)	मुख्यालय	15.08.76	01.02.13	01.02.15	GEN
10.	श्री वाचस्पति देराश्री	राजसमन्द	10.05.87	25.03.13	20.02.19	GEN
11.	श्री शिव सहाय सिंह	कोलकाता	12.02.61	15.04.13	10.11.15	GEN
12.	श्री वीरालाल बुनकर	उदयपुर	25.01.64	12.04.13	10.11.15	SC
13.	श्री नवीन जैन	मुख्यालय	01.01.93	25.09.13	10.11.15	GEN
14.	श्री रमेश कुमार शर्मा	मुख्यालय(अ.मु. -सीकर)	30.06.92	27.11.13	27.11.15	GEN
15.	श्री मयंक शर्मा	सूजस का. जयपुर	12.04.95	14.10.15	18.07.18	GEN
16.	श्री विकाश हल्दुनिया	मुख्यालय	12.05.88	15.06.16	15.06.18	SC
17.	श्रीमती ललिता वर्मा	मुख्यालय	15.07.87	25.07.16	25.07.18	SC

उक्त सूची में वरिष्ठता क्रम एवं टंकण त्रुटि के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षराकर्ता को अपना आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कनिष्ठ सहायक की फाईनल वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी।

(एन.एल.मीना)

आयुक्त एवं शासन सचिव
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
राज. जयपुर

7945-63
08/05/19

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रस्तुत है:-

1. सहायक निदेशक (प्रशासन) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
2. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
3. संबंधित कर्मचारिगण।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष।
5. निजी संचायिका।
6. आदेश पत्रावली।

(अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन))